प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी
दुग्धशाला विकास विभाग।
मैनपुरी, आगरा, जालौन(उरई), हमीरपुर, झांसी, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक- 25 अगस्त, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना)। (अनुदान संख्या-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-180/दुग्ध-4/नियो0/कृषक-प्रशि0-सामान्य(268)/ 2021-22, दिनांक 16 अगस्त,2021 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत 70 जनपदों के लिए वित्तीय वर्ष **2021-22** के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.01 लाख (रू0 दो करोड़ एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहारित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों / मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ / समितियां अपने संसाधन से उसका वहन करेंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले किसी प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होगे।

(6) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। प्रश्नगत धनराशि का जिलों को आवंटन उनकी मांग के औचित्य का परीक्षण करते हुए किया जायेगा।

(7) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ो के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0 का होगा।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा। योजनावार / जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिए जायेगा।

(9) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को प्राविधानित धनराशि की अवशेष धनराशि द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी शर्त है कि एतद्द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखों व बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2021-22** के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-16** के अधीन लेखा शीर्षक-'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0306-कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 22 /2021 / 728 (1)/53-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
11- सम्बन्धित □काई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
16- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को □स आशय से प्रेषित कि □से विभागीय वेबसा□ पर प्रदर्शित करें।
17- गार्ड फा□ल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in